मध्यकालीन राजस्थान
के
आर्थिक इतिहास के स्रोत

सम्पादक :
डॉ. विक्रमसिंह भाटी

विषय-सूची

01. URBAN ECONOMY OF SHEKHAWATI REGION : STUDY BASED ON ARHSATTA 11

02. STATE AND THE RURAL ECONOMY IN RAJPUTANA (SEVENTEENTH TO NINETEENTH CENTURY) 26

03. पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक इतिहास सम्बन्धी अभिलेखागारीय मूल स्रोत-सामग्री एवं व्यावसायिक पंचायतें (सन् 1700-1800 ई.) 36

04. कानोड़-ठिकाना दस्तावेजों में 'लाग' के सूत्र 52

05. मेवाड़ में व्यापार वाणिज्य शासकीय प्रयास 60

06. राजस्थान के व्यापार में बणिक जातियों का योगदान 67

07. मेवाड़ के प्रमुख व्यापारिक स्थल एवं राहदारी व्यवस्था 70

08. सामाजिक प्रथागत नियमों की निरन्तरता में सहायक कर-व्यवस्था 76

09. मध्यकालीन राजस्थान के आर्थिक इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत-शिलालेख (1200 से 1500 ई. के विशेष संदर्भ में) 84

10. दहिया वंश : लाग-बाग के सूत्र 101

11. अभिलेखीय सामग्री में रुपये-पैसे का लेखन एवं पठन 109

12. जोधपुर राज्य का मौद्रिक एवं सम्पत्ति प्रबन्ध (ओहदाबही-वि.सं. 1765-1940 के आधार पर) 114

13. 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ राज्य का व्यापार-वाणिज्य 120

14. मारवाड़ की आर्थिक व्यवस्था के सामाजिक आधार के कतिपय संदर्भ 134

15. मारवाड़ के आर्थिक इतिहास के स्रोत के रूप में नैणसी का लेखन 142

16. मध्यकालीन राजस्थान के आर्थिक इतिहास के अभिलेखीय स्रोत 152

17. गोगून्दा की ख्यात और मेवाड़ का आर्थिक इतिहास-लेखन 163

मारवाड़ के आर्थिक इतिहास के स्रोत के रूप में नैणसी का लेखन

राजस्थान इतिहास के प्राथमिक स्रोतों के रूप में जहाँ अनेक अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, वहीं साहित्यिक परम्परा के साधन भी कम नहीं हैं। प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों में ख्यात, विगत, गज़ल, बात सहित्य प्रमुख हैं। राजस्थान की भाँति ही मारवाड़ के ख्यात साहित्य में मुहता नैणसी री ख्यात, बांकीदास री ख्यात, मूंदियाड़ री ख्यात, महाराजा विजयसिंह जी री ख्यात, राठौडां री ख्यात विगत साहित्य में मुहता नैणसी द्वारा लिखित मारवाड़ रा परगनां री विगत, उदावतों री विगत, रुपिया आया उपडिया री विगत, जोधपुर रे कमठा री विगत, राठौडां री खांपां अर पट्टां रै गांवां री विगत आदि प्रमुख हैं। ख्यात एवं विगत साहित्य समकालीन इतिहास के पुनर्लेखन हेतु महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इन साहित्यों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक इत्यादि अनेक जानकारियों का समावेश होता है। मारवाड़ के क्षेत्रीय इतिहास लेखन में मुहणोत नैणसी का लेखन महत्त्वपूर्ण हैं। नैणसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इतिहासकार थे। नैणसी के दोंनों ही ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक एवं वृहत विवरणों पर आधारित हैं। यद्यपि नैणसी ने अपने लेखन में क्यों और कैसे ? जैसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, किन्तु उनके द्वारा दिये गये तथ्य प्रामाणिक एवं पूर्ण विवरणात्मक हैं, जो कि आर्थिक इतिहास लेखन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने प्रत्येक लेखन में अपना दृष्टिकोण समीक्षात्मक ही रखा है। उन्हें अपने द्वारा दिये गए विवरण में यदि कोई शंका होती तो वहाँ वे ऐसा स्पष्ट उल्लेख कर देते है कि, "ऐसा सुना है" अथवा "सभी कहते हैं।" जैसे किसी गाँव के प्रचलित नाम और अधिकारिक पत्रों, उस गाँव के नाम में कोई अन्तर होता तो वे उसका स्पष्ट उल्लेख कर देते थे।[1] यथा तत्कालीन जैतारण परगने की दक्षिणी सीमा पर मेरों की बस्ती थी, जो कालान्तर में मेरवाड़ा में सम्मिलित कर ली गई। इस क्षेत्र में मेरों ने अनेक गाँव बसाये थे, उनकी जानकारी विगत में शामिल है तथा जिन 8 गाँवों पर मेरों का अधिकार नहीं था, उनका उल्लेख भी विगत में है।[2] नैणसी द्वारा लिखित परगनां री विगत 17वीं शताब्दी में मारवाड़ के प्रमुख परगनों (जोधपुर, सोजत, जैतारण, फलौदी, मेड़ता, सिवाणा और पोकरण) के आर्थिक इतिहास को जानने का एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार

डॉ. अनिल पुरोहित, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर

विस्तृत रूप से गाँवों की रेख, परगना केन्द्र से गांव की दूरी, खेती योग्य भूमि, भूमि का माप, सिंचाई के साधन एवं प्रकार, पानी की स्थिति (बाहुल्य या कमी), मुख्य फसलें, खेतों के प्रकार, पीने के पानी के साधन एवं प्रत्येक गाँव के पाँच वर्ष के (संवत् 1715-1720/1658.1663 ईस्वी) वास्तविक आँकड़े भी नैणसी प्रस्तुत करता है। नैणसी ने जैतारण, फलौदी, मेड़ता, सिवाणा और पोकरण परगनों की जानकारी स्वयं जाकर एकत्र की और परगने सोजत की सारी जानकारी पंचोली रामदास के साथ मंगवाई थी। नैणसी की विगत एवं ख्यात से हमें मारवाड़ के आर्थिक इतिहास की विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण इस प्रकार है-

व्यवसायगत बसावट -

नैणसी ने अपनी विगत में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ की बसावट के अन्तर्गत विभिन्न परगनों की बसावट का विस्तृत वर्णन दिया है। नैणसी ने विगत को लिखते समय जब गाँवों का विवरण प्रस्तुत किया, तब प्रत्येक परगने के गाँवों की संख्या को लिखा। फिर उनमें आबाद एवं निर्जन गाँवों की संख्या प्रस्तुत की, गाँवों में रहने वाली जातियों एवं उनकी आबादी का उल्लेख किया। जैसे सिवाणा परगने के कई गाँव ऐसे थे, जहाँ की प्रारम्भिक जातियां उन्हें छोड़कर गयी, जिससे वे वीरान हो गये तथा इन गाँवों को बाद में राजपूतों ने पुनः बसाया।[3] पोकरण के बारे में नैणसी लिखता है कि, यहाँ छत्तीस पवनजात समान रूप से निवास करती हैं,[4] किन्तु यहाँ कई गाँव वीरान भी थे, जहाँ मात्र वर्षा काल में कृषक कृषि करने आते थे, इनमें रातड़ियो, झाबरो, खालतसर, रोहियों आदि गाँव प्रमुख हैं।[5] जोधपुर परगने के विवरण में नैणसी ने यहाँ के बाजारों, विभिन्न कामगार जातियों के निवास स्थानों (जिनके जाति-नामों से उन क्षेत्रों का नामकरण हो गया) का पूर्ण विवरण दिया है।[6] ख्यात का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि, सांचौर में महाजन, राजपूत, सकना (तुर्क), दर्जी, मोची, तेली, सुनार, छींपा, पिंजारा, धोबी, कुम्हार, रंगरेज, भोजग, माली, लुहार, भील आदि जातियां निवास करती थीं। व्यावसायिक रूप से सांचौर नगर आत्मनिर्भर था।[7]

विगत में मारवाड़ के सभी परगनों का सविस्तार वर्णन दिया गया है। विगत के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि, मारवाड़ के सभी परगनों यथा सोजत, जैतारण, मेड़ता, फलौदी, सिवाणा, पोकरण आदि में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जातियों की आबादी होती थी। विगत के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि, मारवाड़ के परगनों के विभिन्न गाँवों में दर्जी, स्वर्णकार, नाईं, ठठेरा, सूत्रधार, कुम्हार, सिलावट, धोबी, जुलाहा, माली, तेली, कलाल, छींपा, लुहार, मोची, भड़भूजा, पिंजारा, डूम, सरगरा इत्यादि व्यावसायिक जातियों का निवास था।[8] इनके अलावा बाजीगर, नृत्य करने वाले तथा वैश्याएं भी प्रायः कुछ परगनों के गाँवों में निवास करती थीं।[9] नैणसी ने समाज में छोटे-छोटे व्यवसायों में लगी जातियों को छत्तीस अन्य जातियां कहकर

सम्बोधित किया है। विगत के अनुसार, पोकरण यद्यपि रेगिस्तानी क्षेत्र में अवस्थित था, किन्तु स्थानीय वस्तुओं और आयातित वस्तुओं के वितरण का एक बड़ा केन्द्र भी था।[10] गुजरात के कई व्यापारी अपना सामान बेचने पोकरण आते थे।[11] यहाँ की महाजन जाति बड़ी संख्यां में ब्याज लेन-देन में जुड़ी थी।[12]

कृषि उत्पादन एवं जल संसाधन -

विगत एवं ख्यात से मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। परगना जोधपुर एवं मेड़ता में गेहूँ और चना; जैतारण, सिवाणा और फलौधी में बाजरा, ज्वार और मोठ; सोजत में ज्वार, बाजरा और मोठ की फसलें प्रमुख थीं।[13] नैणसी के विवरण से ज्ञात होता है कि, फलौदी के 65 प्रतिशत गाँवों में, पोकरण के 50 प्रतिशत गाँवों में, सोजत के 38 प्रतिशत गाँवों में और सिवाणा के 13 प्रतिशत गाँवों में कपास की कृषि होती थी।[14] विगत के अनुसार, पोकरण में कृषक गेहूँ का उत्पादन कुओं द्वारा सिंचित (अरहठ) भूमि पर करते थे।[15] इसके अतिरिक्त यहाँ तम्बाकू की कृषि भी होती थी।[16] जैसलमेर से 5 कोस दूर पश्चिम दिशा में काक नदी का पानी आता है और इस क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां हैं इससे यहाँ वर्षा का पानी भर जाता है तथा निकलने का स्थान नहीं होने से यहाँ काला गेहूँ की उपज अच्छी होती है तथा वर्षा ना होने पर 284 छोटी कुइयों (खड़ीन) से सिंचाई करके गेहूँ प्राप्त किया जाता है।[17] इसके अलावा यहाँ से कपास, मूंग, जीरा आदि की भी फसलें हैं। जल की कम उपलब्धता के कारण मारवाड़ में चावल केवल बदनौर में ही होता था।[18]

ख्यात में नैणसी ने अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित गाँवों, वहाँ पर रहने वाली जातियों और प्रमुख फसलों का विवरण दिया है। नैणसी लिखता है कि, इस क्षेत्र में आमों के पेड़ों का बाहुल्य है। यहाँ अधिकतर भील जाति के लोग निवास करते हैं और जिनकी मुख्य फसलें गेहूँ, चना और चावल हैं।[19] ख्यात में उल्लेख आता है कि, सांचौर क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी के कारण वहाँ वर्ष में एक ही फसल हो पाती थी। वहाँ की मुख्य फसलें मूंग, मोठ, तिल और कपास ही थी। यहाँ के 28 गाँवों में 200 कुएं थे। उन कुओं और लूणी नदी की रेल से कुछ गेहूँ और चना सेंवज हो जाते थे।[20] इसी प्रकार विगत के अनुसार मारवाड़ में उत्पादित होने वाले फलों में खरबूजा, आम, केवड़ा, इमली, अनार, नींबू इत्यादि प्रमुख थे। विगत में अनार और नींबू की पैदावार पर कर लगाने के उल्लेख मिलते है।[21]

गाँवों से निकलने वाली नदियों-नालों का उल्लेख, मार्गों का उल्लेख, कुएं-तालाबों का भी विवरण प्राप्त होता है। विगत में नैणसी सिवाणा को मारवाड़ का एक महत्त्वपूर्ण परगना बताता है तथा इसकी भौगोलिक स्थिति जोधपुर से 30 कोस दक्षिण में बताता है। विगत के अनुसार यह परगना लूणी और सूकड़ी नदियों के प्रवाह पर स्थित है। नैणसी ने अपनी विगत में सिवाणा के जल संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया है।

जैसे नैणसी अपने विवरण में बताता है कि सिवाणा के बसे हुए गाँवों (जिनकी संख्या 86 है) में 65 तालाब, 275 कोसिटा, 48 चाँच, 66 कुएँ और 86 बावड़ियां प्राप्य हैं।[22] इसी प्रकार परगना पोकरण के जल संसाधनों के बारे में नैणसी लिखता है कि यहाँ के प्रत्येक गाँव में पर्याप्त कुएं थे एवं इनमें जल दस हाथ की गहराई पर ही मिल जाता था।[23] ख्यात में जैसलमेर राज्य के गाँवों की सूची दी हुई है तथा वहाँ के तालाबों और प्रमुख फसलों की भी जानकारी है।[24]

भूमि के प्रकार -

राजस्व की दृष्टि से राज्य की भूमि को तीन भागों में बाँटा जाता था- खालसा, जागीर और सांसण। शासक अपने राज्य में जागीरदारों को उनकी सेवाओं के बदले वेतन के स्थान पर भूमि (जागीर) देता था।[25] कुछ क्षेत्रों की भूमि उसके स्वामी द्वारा दान में दी जाती थी, वह सांसण कहलाती थी तथा वह भूमि जिस पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था वह खालसा कहलाती थी।[26] विगत में विवरण मिलता है कि, परगना जैतारण के कुल 127 गाँवों में से 81 गाँव जागीर, 29 गाँव खालसा और 17 गाँव सांसण भूमि के थे।[27] इसी प्रकार नैणसी विगत में लिखता है कि महाराजा जसवन्तसिंह के समय में परगना जोधपुर के 144 गाँव, परगना सोजत के 33 गाँव, परगना जैतारण के 17 गाँव, परगना फलौदी के 9 गाँव, परगना मेड़ता के 45.5 गाँव, परगना सिवाणा के 30 गाँव एवं परगना पोकरण के 15 गाँव सांसण भूमि के अन्तगर्त आते थे।[28]

भू राजस्व और अन्य कर -

नैणसी ने अपने विवरण में भू-राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि का भी उल्लेख किया है। अगर किसी परगने की वार्षिक आय में परिवर्तन आता तो, नैणसी द्वारा उस परिवर्तन के कारण को भी उल्लेखित किया गया है। जैसे कोई क्षेत्र शाही खालसा परगने में सम्मिलित हो जाता तो उसकी स्पष्ट जानकारी नैणसी के विवरण में प्राप्त होती है। इसी प्रकार परगने का कोई गाँव पड़ौसी राज्य के अधिकार में चला जाता था एवं इससे राज्य की आय में कमी होती थी, तो इसका उल्लेख भी नैणसी अपने विवरण में देता है। नैणसी ने विगत और ख्यात दोनों में ही उस काल की भू-राजस्व निर्धारण प्रणालियों एवं करों तथा अन्य प्रकार के अनेक करों का विवरण दिया है, विशेष रूप से विगत में यह विवरण अत्यधिक विस्तृत और विश्लेषण योग्य है। हमें विगत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, मारवाड़ के प्रायः सभी परगनों में भूमि कर निर्धारण की अनेक पद्धतियां प्रचलित थीं, उनमें लाटा,[29] बटाई,[30] मुकाता,[31] गूघरी,[32] जब्ती[33] इत्यादि मुख्य थीं। भूमि कर के अतिरिक्त कुछ अन्य करों का उल्लेख मिलता है। परगना पोकरण में खरीफ की फसल पर उपज का आधा भाग भोग कर के रूप में लिया जाता था।[34] जालौर में राजपूतों से उपज का पाँचवा भाग और कृषकों से उपज का चौथा भाग भोग कर के रूप में लिया

जाता था।[35] ख्यात में उल्लेख आता है कि जैसलमेर राज्य में खरीफ की फसल पर उपज का चौथा हिस्सा और रबी की फसल पर उपज का पाँचवा हिस्सा भोग के रूप में लिया जाता था।[36] किसी परगने में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर दाण और बिसवा नामक कर लगते थे। विगत में उल्लेख आता है कि, पोकरण में एक मण रेशमी वस्त्र पर 10 फदिया[37] बिसवा कर लगता था।[38] मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात से आने वाली वस्तुओं पर उनके प्रकार और प्रयोग के आधार पर दाण और बिसवा कर लगते थे। ताम्बा, काँसा, पीतल, शीशा, कथीर, नारियल, मिर्च, मजीठ, हींग इत्यादि पर प्रति मण 8 दुगाणी तथा रुई, तेल, गुड़, लोहा, लाख इत्यादि पर 5.5 दुगाणी दाण और बिसवा कर लगते थे। इसमें आधा दाण और आधा बिसवा होता था।[39] ख्यात में उल्लेख आता है कि, जैसलमेर में प्रति उँट रेशम के रुपये 35, मजीठ के रुपये 5, मोम के रुपये 6, फिटकरी के रुपये 4 आदि दाण कर के रूप में लिये जाते थे।[40] पशुओं की चराई पर पशु स्वामी को पशु के प्रकार के आधार पर घासमारी-चराई कर देना होता था। यह कर गाय पर 5 दुगाणी, भैंसे पर 10 दुगाणी, भेड़-बकरी पर 1 दुगाणी लगता था। चराई भूमि पर झोंपड़ी बनाने वाले को 15 दूगाणी कर देना पड़ता था।[41]

गाँवों के जागीरदारों से गाँव की आर्थिक स्थिति के आधार पर खीचड़ो नामक कर लिया जाता था। विगत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, मेड़ता परगने से इस कर के रूप में 600 से 700 रुपये प्राप्त होते थे।[42] त्यौहारों के अवसर पर व्यापारियों से मिलणो नामक कर लिया जाता था। ख्यात में वर्णित है कि पोकरण में महाजन व्यापारियों से 17 दुगाणी वार्षिक मिलाणो कर के रूप में ली जाती थी तथा जैसलमेर में महाजनों से प्रति घर 8 दुगाणी कर के रूप में ली जाती थी।[43] इसके अतिरिक्त भू-राजस्व के संग्रह पर होने वाला व्यय खरच भोग कहलाता था।[44] यह कर प्रति फसल अथवा वर्ष में दो बार लिया जाता था।[45] विगत में उल्लेख आता है कि कृषकों के खेतों की सुरक्षा के लिये भी उनसे कणवार नामक कर लिया जाता था।[46] इसके अलावा प्रायः मारवाड़ के प्रत्येक परगने से व्यावसायिक कर मालियों, छींपों, पिंजारों, भांबी, कलाल, तेली, खटीक आदि से वार्षिक लिया जाता था।[47] उपरोक्त करों के अतिरिक्त विगत में रसद, सिकदारी, लिखवाणी, दुमालो, फरोही, घीयाई, घोड़ा कबाल, घाणी, पेशकशी और नालबंद जैसे अनेक करों का विवरण भी मिलता है।[48]

खनिज एवं अन्य उत्पादन -

विगत में नैणसी ने विभिन्न परगनों एवं उनके गाँवों से प्राप्त होने वाले खनिजों तथा अन्य प्रकार के उत्पादों की भी जानकारी दी है। यदि किसी गाँव में नमक का निर्माण होता है तो, उसके भी आँकडों को लिखा जाता था। नमक भी राजकीय आय का साधन था। सिवाणा, फलौदी और पोकरण में खारे पानी से नमक बनाया जाता था। नमक के उत्पादन का आधा एवं कई बार एक तिहाई भाग कर के रूप में लिया

जाता था।[49] पचपदरा में नमक के आगारों (झील की पाट में नमक बनाया जाता था, जिन्हें आगार कहते थे) का उल्लेख नैणसी की विगत में प्राप्त होता है।[50] भवन निर्माण में काम में आने वाला महत्त्वपूर्ण खनिज जिप्सम नागौर परगने से प्राप्त होता है।[51] इसके अलावा जिप्सम चोटीसर, भदाना, मंगलोड़ एवं खेरात स्थानों से भी मिलता था।[52] नागौर से ही उन्नत किस्म का इमारती पत्थर भी प्राप्त होता था, जिसमें लाल बलुआ पत्थर विशेष था।[53] इसके अलावा सोजत परगने में सीसा और जस्ता की खानें थीं[54] और वहीं पर सीसा शोधन की अनेक भट्टियां कार्यरत थीं।[55]

व्यापारिक मार्ग –

नैणसी द्वारा रचित परगनां री विगत एवं ख्यात दोंनों में ही मारवाड़ के और यहाँ से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गाँवों, शहरों तथा कस्बों के मध्य चलने वाले व्यापार ने कई मार्गों को जन्म दिया। नैणसी के विवरण में हमें उस काल के व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख मिलता है। नैणसी लिखता है कि, श्री कुवंर जी जोधपुर से प्रारम्भ हुए, मेड़ता गया, मेड़ता से डेरा अरणीयाल हुआ, फिर नीम्बड़ी काला, फिर भाखरी (पहाड़ी क्षेत्र) होता हुआ जाजोत फिर जहानाबाद पहुँचे।[56] जब नैणसी जोधपुर कस्बे के आस-पास के गाँवों का वर्णन करता है तो वह निश्चित रूप से इनके मध्य कुछ मार्गों के संकेत देता है, जैसे रातानाड़ा से जोधपुर,[57] जाजीवाल से जोधपुर,[58] धवा से जोधपुर।[59] गाँव सिणधारी के बारे में वह लिखता है कि, यह महेवा से 1.5 कोस दूर स्थित है।[60] इसी प्रकार वह जैतारण को जोधपुर से 27 कोस अगवण दिशा में दाई ओर बताता है।[61] इससे यह स्पष्ट है कि जोधपुर और जैतारण के मध्य मार्ग था। वह जैतारण के सभी गाँवों की जैतारण से दूरी और दिशा बताता है,[62] यह इस बात का संकेत है कि मुख्य कस्बे से इन गाँवों की ओर मार्ग ताजे थे। फलौदी के निनाऊँ[63] गाँव के संबंध में नैणसी लिखता है कि यह फलौदी कस्बे से 4 मील उत्तर में है जहाँ विश्नोई बसते हैं। इसी प्रकार का विस्तृत विवरण वह मेड़ता परगने के गाँवों के बारे में भी देता है।[64] नैणसी लिखता है कि, जालौर स्थित आलणियावास जाने वाला मार्ग यहाँ से निकलने वाले मुगल राष्ट्रीय मार्गों में स्थित था तथा यहाँ की भूमि इतनी उर्वरक थी कि, रबी और खरीफ दोनों फसलें हुआ करती थीं। बीकानेर, जैसलमेर एवं अजमेर से अहमदाबाद जाने वाला मार्ग पाली होकर गुजरता है।[65]

अनेक मुगल राष्ट्रीय राजमार्ग मारवाड़ होकर गुजरते थे। विगत में जालौर के कई गाँवों को पातशाही मार्ग पर होना दर्शाया गया है। यहाँ से जो मार्ग निकलता है, वह बड़े और अच्छे गाँवों से होकर गुजरता है, जैसे- बागाँव (जालौर में) - भीनमाल, जालौर-दुनाड़ा-पीपाड़ तथा मेड़ता।[66] बड़े गाँव (जिनकी रेख बहुत अधिक थी) माजल, पालसवानी, सुल्ताना, झारू और आलणियावास इस मार्ग के नजदीक पड़ने वाले गाँव थे। ये अधिक रेख वाले गाँव तो थे ही, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले इन

गाँवों से रबी और खरीफ दोनों ही फसलें ली जाती थीं।[67] नैणसी के अनुसार इन मुगल राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय शासकों का होता था। विगत में हमें एक उदाहरण मिलता है कि, ऊँटों के एक कारवाँ को मेवाड़ी सेना द्वारा जोधपुर के क्षेत्र में लूटने की कोशिश की गई, जिसे जोधपुर की सेना ने नाकाम कर दिया। यह कारवाँ अहमदाबाद से जोधपुर होकर आगरा जा रहा था।[68]

प्रमुख व्यापारिक केन्द्र -

मारवाड़ के परगनों के प्रमुख नगर थोक व्यापार के मुख्य केन्द्र थे। मारवाड़ के पाली, सांभर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता, सोजत, जैतारण, बालोतरा, जालौर, कुचामन आदि मुख्य वितरण एवं एकत्रीकरण केन्द्र थे। नैणसी ने जोधपुर शहर में हाटों एवं दुकानों का वितरण विस्तृत रूप से दिया है।[69] नैणसी लिखता है कि, नागौरी दरवाजे में 21 हाटें (दुकानें) हैं। इनमें 11 महाजनों की, 1 आसोत जोधा की, 1 मुलाखान की, 1 सिलावटों की और 2 दूसरी हैं। नागौरी दरवाजे के भीतर चौहटों की संख्यां 136 हैं। इनमें 110 महाजनों के, 19 सौदागरों के, 2 गांछों के, 5 सुनारों के हैं। इसी प्रकार 405 दुकानें जालौरी दरवाजे से पद्मसर तक हैं। इसमें दरवाजे के बायीं ओर 177 महाजनों की, 18 तेरवों की और 3 कंसारों की हैं। 207 दुकानें दरवाजे के दायीं ओर हैं, इनमें 189 महाजनों की, 15 तेरवों की और 3 मोचियों की हैं।[70] इसके अलावा नैणसी जालौर, फलौदी, सोजत में कई दुकानों की जानकारी देता है। जालौर में 135 दुकानों (प्रत्येक के मालिक के नाम के साथ) का उल्लेख मिलता है। ये दुकानें या तो मण्डी में थीं अथवा मण्डी के आस-पास के क्षेत्र में थीं।[71]

आय के अन्य साधनों का विवरण -

विगत से परगनों की आय के अन्य साधनों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे जोधपुर परगने के विवरण में नैणसी ने परगना जोधपुर, सोजत, जैतारण, सिवाणा एवं फलौदी से संवत् 1715 से 1719 तक विभिन्न साधनों से होने वाली आय की जानकारी दे रखी है। राज्यों की आय का मूल स्रोत कृषकों, शिल्पकारों एवं व्यापारियों से लिये जाने वाले विभिन्न कर थे। करों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- 1. वाणिज्यिक कर एवं 2. गैर-वाणिज्यिक कर। वाणिज्यिक करों में मुख्य राहदारी,[72] मापा, आमद, निकासू कयाली, बाँच, पटवाली इत्यादि प्रमुख थे तथा गैर-वाणिज्यिक करों में कृषकों से लिये जाने वाले हासल, लाग-बाग, दाण आदि प्रमुख थे।[73] मेलों से भी (विशेषकर पशु मेले) राज्य की आय होती थी।[74] पशु मेले प्रमुख रूप से रामदेवरा, मूण्डवा, परबतसर, पुष्कर, नागौर, फलौदी और तिलवाड़ा में आयोजित होते थे। रामदेवरा का पशु मेला वर्ष में दो बार जनवरी और अगस्त में आयोजित होता था (मेळां प्रगना रा गांव में वंसवाणी में रामदेव जी रौ मेळौ भादवा सुद 10 ने माह सुद 10 ने

हुवै।)।[75] विगत में गाँवों में स्थित मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे सोजत परगने के मंदिरों की कुल संख्या विगत में दी गई है। विगत के अनुसार, यहाँ 8 हिन्दू देवालय (3 ठाकुरद्वारा, 3 शिवालय और 2 सामान्य मंदिर) हैं। इसमें मंदिर से होने वाली आय का भी उल्लेख प्राप्त होता है।[76]

मुद्रा व्यवस्था एवं नाप-तौल -

मारवाड़ में यद्यपि राठौड़ों का शासन सन् 1212 में ही स्थापित को चुका था, किन्तु डब्ल्यू. डब्ल्यू. वेब का मानना है कि मुगलों के पतन तक राठौड़ों द्वारा व्यापक स्तर पर सिक्के नहीं ढाले गये थे।[77] मारवाड़ में मुगलिया सिक्कों का ही चलन रहा होगा। नैणसी के विवरण से तत्कालीन मुद्रा व्यवस्था की जानकारी भी होती है। नैणसी लिखता है कि मालदेव के समय में रुपया, दाम, पीरोजी, दुगाणी, फदिया, टका (40 दाम का एक रुपया होता था, जो शेरशाह के समय में प्रचलित था) इत्यादि सिक्के मारवाड़ में प्रचलित थे।[78] इस काल में व्यावहारिक लम्बाई नापने की इकाई 'गज' थी। जोधपुर में बत्तीस अंगुल का एक गज होता था।[78] कपड़े के थान की लम्बाई प्रायः 20 गज होती थी। 24 गज का मलमल का थान 4 रुपये 4 आना तीन टका मूल्य का होता था।[80]

नैणसी ने अपनी ख्यात और विगत को लिखते हुए पूर्ण रूप से आधार सामग्री का प्रयोग किया था तथा उपयोग की गयी सामग्री या वृत्तातों की प्राप्ति के स्रोतों को लिखकर उसने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता स्वंय ही सिद्ध कर दी है। मुहणोत नैणसी के दोंनों ही ग्रंथ 'मारवाड़ रा परगनां री विगत' और 'मुँहता नैणसी री ख्यात' वर्तमान इतिहास लेखन की विभिन्न परम्पराओं में न केवल क्षेत्रीय इतिहास पुनर्लेखन में अपितु राष्ट्रीय इतिहास पुनर्लेखन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।

संदर्भ : -

01. मुहणोत नैणसी, मारवाड़ रा परगनां री विगत, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर,1969 भाग 1, पृ. 1, 383, 493; परगनां री विगत, भाग 2, पृ. 1, 37, 215, 216, 289, 290
02. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 505, 509, 552-553
03. विस्तृत अध्ययन के लिये नैणसी की परगनां री विगत में सिवाणा का वर्णन देंखें।
04. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 310
05. वही. पृ. 318-319
06. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 186-189
07. मुँहता नैणसी री ख्यात, भाग 1, सम्पादक बद्रीप्रसाद साकरिया, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, पृ. 228-229
08. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 497; भाग 2, पृ. 9, 73-76, 223-224, 310-311
09. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 396-437; भाग 2, पृ. 9, 76
10. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 323-326

11. वही.
12. वही. पृ. 326
13. मनोहरसिंह राणावत, इतिहासकार मुहणोत नैणसी और उसके इतिहास ग्रंथ, पृ. 151
14. डॉ. अनिल पुरोहित, राजस्थान में व्यापार और वाणिज्य, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2013, पृ. 37
15. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 312-315
16. वही. पृ. 326
17. खड़ीन: पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से निर्मित गढ्ढ़ों में एकत्र हो जाता था एवं कई बार स्थानीय लोगों द्वारा भी जल संरक्षण का यह प्रयास प्राय: छोटी कुइयां बनाकर किया जाता था, यह खड़ीन कहलाती थीं।
18. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 128
19. नैणसी, ख्यात, भाग 1, पृ. 40-44
20. वही. पृ. 228
21. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 397-398
22. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 232-262
23. वही. पृ. 389
24. नैणसी, ख्यात, भाग 2, पृ. 4-5
25. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 295, 331-334, 337
26. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 500-501
27. वही.
28. वही. पृ. 189, 424, 213, 230
29. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 396; भाग 2, पृ. 96, 328
30. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 89, 96
31. वही. पृ. 326-340
32. वही. पृ. 248, 355
33. वही. पृ. 96-97
34. वही. पृ. 89-96
35. विस्तृत अध्ययन के लिये नैणसी की परगनां री विगत में जालौर का वर्णन देखें।
36. नैणसी, ख्यात, भाग 2, पृ. 8
37. फदिया, दुगाणी, दाम, टका इत्यादि 17वीं शताब्दी में मारवाड़ की प्रचलित मुद्राएं थीं।
38. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 325
39. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 325-336
40. नैणसी, ख्यात, भाग 2, पृ. 7
41. मनोहर सिंह राणावत, पूर्वोक्त, पृ. 205-206
42. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 91
43. नैणसी, ख्यात, भाग 2, पृ. 7
44. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 89
45. वही. पृ. 91-93
46. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 400; भाग 2, पृ. 90-97

47. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 397-399
48. मनोहर सिंह राणावत, पूर्वोक्त, पृ. 200-213
49. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 36, 308
50. वही. पृ. 347
51. नैणसी, विगत, भाग 2, नागौर परगने का विस्तृत वर्णन देखें।
52. वही.
53. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 423-424
54. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 35
55. डॉ. अनिल पुरोहित, पूर्वोक्त, पृ. 41
56. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 156-157
57. वही. पृ. 235
58. वही.
59. वही.
60. वही. पृ. 357
61. वही. पृ. 509
62. वही. पृ. 509-554
63. वही. फलौदी परगने का विवरण।
64. नैणसी, विगत, भाग 2, मेड़ता परगने का विवरण।
65. नैणसी, ख्यात, एफ. एफ. 47ए, 98ए, 134ए
66. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 218-222; भाग 2, पृ. 199-201 इन गाँवों की रेख 4000 रुपयों से 8000 रुपयों के मध्य थी।
67. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 218-288; भाग 2, पृ. 116-133
68. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 103
69. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 160-165
70. वही.
71. वही. पृ. 186
72. नैणसी, ख्यात भाग 2, पृ.301 (मालदेव के पूर्व राहदारी दाण के नाम से जाना जाता था।)
73. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 24
74. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 138; भाग 2, पृ. 308, 323-324, 358
75. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 424
76. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 390-392
77. डब्ल्यू. डब्ल्यू. वेब, करेन्सीज् ऑफ हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, पृ. 40
78. नैणसी, विगत, भाग 1, पृ. 11
79. डॉ. अनिल पुरोहित, पूर्वोक्त, पृ. 95
80. नैणसी, विगत, भाग 2, पृ. 456

❑❑❑